

—:: **परिपत्र** ::—

क्रमांक-3532 /ब.फा./2022

दमोह, दिनांक ११/१०/2025

प्रति,

समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण,
दमोह/हटा/पथरिया/तेन्दूखेड़ा
जिला दमोह

विषय :- अनावश्यक बिजली की खपत के संबंध में।

प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ न्यायालय/अनुभागों के कम्प्यूटर उपकरण, ट्यूबलाईट, बल्ब इत्यादि इलेक्ट्रिक उपकरण न्यायालयीन/कार्यालयीन समय समाप्त होने के पश्चात् कार्य समाप्त होने के बाद भी चालू रहते हैं, जिससे कि अनावश्यक रूप से बिजली की खपत होती है।

अतः आप कर्मचारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय/अनुभागों के कम्प्यूटर उपकरण, ट्यूबलाईट, बल्ब इत्यादि इलेक्ट्रिक उपकरणों को न्यायालयीन/कार्यालयीन समय समाप्त होने के पश्चात् कार्य की समाप्ति पर संबंधित बोर्ड प्यून/अनुभागों में पदस्थ प्यून, तथा संबंधित लिपिक अपने-अपने प्रभार में संबंधित उपकरणों को आवश्यक रूप से न्यायालय/अनुभागों से जाने पर बंद करना तथा नजारेत अनुभाग में पदस्थ फर्श भी न्यायालय/अनुभागों की सफाई उपरांत बिजली के समस्त स्विच/बटन को आवश्यक रूप से बंद करते हुए ही प्रस्थान करेंगे।

उक्त निर्देशों का कठोरता से पालन किया जावे।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)